भाविप्रा ने हवाईअड्डों पर वाणिज्यिक सुविधाओं के लिए लाइसेंस देने की अपनी नीति में बदलाव किया

नई दिल्ली, **09** नवंबर, **2022**: हवाई यात्रियों के आवागमन में क्रमिक वृद्धि होने के साथ, जो कि अब महामारी पूर्व के स्तर तक पहुंच गया है, भारत के सबसे बड़े हवाईअड्डा प्रचालक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने अपने सभी हवाईअड्डों पर वाणिज्यिक अवसरों के दोहन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है ताकि गैर-वैमानिकी राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ यात्रियों की सुविधाओं में भी बढ़ोत्तरी हो सके।

भाविप्रा ने हाल ही में अपने हवाईअड्डों पर खाद्य एवं पेय पदार्थों, खुदरा दुकानों, विज्ञापन के अधिकार, शुल्क मुक्त दुकानों आदि जैसी वाणिज्यिक सुविधाओं को संचालित करने के लिए लाइसेंस देने संबंधी अपनी नीति को पुनर्निर्धारित किया है। व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से भाविप्रा की नीति को उदार बनाया गया है और भाविप्रा द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर ऐसी सुविधाओं को सुलभ कराया गया है ताकि अधिक से अधिक उद्यमी इसे संचालित करने के लिए आकर्षित हों। भाविप्रा अपने स्थापित हवाईअड्डों पर बड़े पैमाने पर गैर-वैमानिकी राजस्व को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि सम्पूर्ण देश के हवाई अड्डों के अवसंरचना विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाया जा सके।

भाविप्रा द्वारा हाल के वर्षों में प्रचालन में लाए गए नए हवाई अड्डों पर यात्रियों के आवागमन की स्थिति उत्साहवर्धक रही है। आरंभ से ही हवाई अड्डों को सक्षम बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए गैर-वैमानिकी राजस्व का दोहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाविप्रा के हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक सुविधाओं को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में इसमें तेजी आने की संभावना है। भाविप्रा सरकार के सीपीपी पोर्टल पर खुली निविदाओं के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करता है।

निगमित संचार निदेशालय, भाविप्रा द्वारा जारी

विवरण के लिए कृपया संपर्क करें: महाप्रबंधक (निगमित संचार) 011-24622787

प्रेस विज्ञप्ति संख्या 28/2022-23